भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4392

02.04.2026 को उत्तर के लिए

चिलिका झील का संरक्षण एवं विकास

4392. श्री शुभाशीष खुंटिया :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान चिलिका झील के संरक्षण एवं पारितंत्र-विकास हेतु जारी की गई केंद्रीय निधियों ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चिलिका विकास प्राधिकरण ने उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं, यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त निधियों की कोई संपरीक्षा की गई है, यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या जेट्टी और ईको-टूरिज्म सुविधाओं सहित अवसंरचना विकास किया गया है, यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्तमान में देश में आर्द्रभूमि (झीलों सहित) के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम, नामतः राष्ट्रीय जलीय जल-तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसकी लागत केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। एनपीसीए के तहत, चिलिका झील के संरक्षण और प्रबंधन के लिए पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 6.38 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है, जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

चिलिका विकास प्राधिकरण (सीडीए) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन निधियों की लेखापरीक्षा विधिवत रूप से की गई है और परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब, सामान्य निकाय और कार्यकारी समिति के कार्य न करने आदि मुद्दों पर कुछ टिप्पणियों दर्ज की गई हैं। सीडीए ने लेखापरीक्षा की सभी टिप्पणियों का उत्तर दे दिया है। उक्त झील के संबंध में व्यापक अवसंरचना विकास कार्य किए गए हैं, जिनमें जेटी का नवीनीकरण, नौका-आश्रय स्थल का निर्माण, जेटी तक जाने वाली सड़क का विकास, मछुआरा समुदाय के लिए बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण आदि शामिल हैं।
